

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

(बिहार सरकार का उपक्रम)

कौटिल्य नगर, पटना-14.

विनय कुमार

भा0पु0से0

पुलिस महानिदेशक सह-अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक



दूरभाष (कार्यालय) : 0612-2224529

मोबाईल नं० : 9471006800

ई-मेल : policenigam@bihar.gov.in

संचिका सं०-XXIII-Misc-19/2020 II

पटना, दिनांक-5/11/2024

कार्यालय आदेश सं० - 11.6./2024

कई ऐसे मामले प्रकाश में आये हैं, जहाँ Programme of Works के समानुपातिक कार्य नहीं करने या कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के कारण संवेदकों को debar या defaulter तो घोषित कर दिया जाता है, परन्तु कार्य पूर्ण करने के उपरान्त लम्बे समय तक उन्हें debarred या defaulter list से विलोपित नहीं किया जाता है। ऐसा मामला भी प्रकाश में आया है, जहाँ विभाग के द्वारा जून, 2017 में defaulter सूची में अंकित संवेदक को सितम्बर, 2023 में निर्गत आदेश से कार्य पूर्णता की तिथि 20.12.2017 के प्रभाव से defaulter list से विलोपित कर दिया गया है। उसी विभाग द्वारा एक अन्य मामले में संवेदक, जिसे Programme of Works के अनुसार कार्य नहीं करने के कारण मार्च, 2023 में defaulter list में डाल दिया गया था, संबंधित कार्य जून 2023 में पूर्ण किये जाने के बावजूद उसे जनवरी, 2024 में निर्गत आदेश से defaulter list से विलोपित किया गया। इससे सभी को समान अवसर नहीं मिलने के साथ, स्वस्थ स्पर्धा भी प्रभावित होता है।

उल्लेखनीय है, अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग का संवेदकों को अगली निविदा में भाग लिये जाने से वंचित किये जाने विषयक पत्रांक-प्र06/विविध(कार्य)-66/2009 1504(E) दिनांक-30.04.2009 के अनुसार "संवेदकों को अगली निविदा से भाग लेने में तबतक वंचित किया जाय, जबतक वे जिस कार्य/कार्यों में Defaulter घोषित किये गये हैं, उन सभी को पूर्ण नहीं करा देते हैं।" इसका आशय है कि संबंधित कार्य/कार्यों को पूर्ण कराने या वांछित milestone प्राप्त कर लिये जाने के उपरान्त संवेदकों को debarment या defaulter list से मुक्त माना जा सकता है।

अतः वैसे मामले, जहाँ कार्य नहीं पूर्ण करने या milestone प्राप्त नहीं करने के कारण किसी संवेदक को debarred या defaulter list में अंकित कर दिया गया है, वैसे संवेदक, उस कार्य विशेष को पूर्ण कर लेने या वांछित milestone प्राप्त कर लेने का सक्षम प्राधिकार अर्थात् संबंधित कार्य प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं तो उस स्थिति में, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम की निविदाओं में भाग लेने के लिये योग्य माने जायेंगे।

पुलिस महानिदेशक सह अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

ज्ञापांक 110 1186 /

पटना, दिनांक - 5/11/2024

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता, मोनेटरिंग/अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल-1 एवं 2/ कार्यपालक अभियंता, मोनेटरिंग, बी0ओ0क्यू0, गुणनियंत्रण/कार्यपालक अभियंता, सभी कार्य प्रमण्डल एवं मुख्य लेखा पदाधिकारी, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पुलिस महानिदेशक सह अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक